पर यथास्थान अंकित करें। **आधार नम्बर अपडेट कराने पर नियमानुसार अतिरिक्त ऑनलाइन शुल्क देय होगा।**

- ❖ शिक्षार्थी के प्रवेश का वेरीफिकेशन **केवल प्रवेश–अनुभाग** द्वारा किया जायेगा।
- ❖ प्रवेश–अनुभाग द्वारा शिक्षार्थी के प्रवेश को कन्फर्म करते ही शिक्षार्थी की नामांकन संख्या जनरेट हो जाएगी। साथ ही शिक्षार्थी को ई–मेल के माध्यम से नामांकन संख्या प्राप्त हो जाएगी।
- ❖ शिक्षार्थी अपने समर्थ लॉगिन के डैशबोर्ड से अपने भरे हुए फार्म का प्रिन्टआउट निकाल सकेंगे।
- ❖ प्रवेश फार्म में त्रुटि होने पर शिक्षार्थी एक प्रार्थना–पत्र द्वारा लिखित रूप में प्रवेश प्रभारी को सूचित करें, और उसमें संशोधन विश्वविद्यालय के प्रवेश अनुभाग द्वारा ही शिक्षार्थी के मूल अभिलेखों के जाँचोपरान्त किया जाएगा। **प्रवेश की अन्तिम तिथि के उपरान्त संशोधन पर अतिरिक्त ऑनलाइन शुल्क देय होगा।**
- ❖ शिक्षार्थी को ऑन लाइन प्रवेश–फार्म के साथ ही एण्टी रैगिंग शपथ–पत्र फार्म तथा एण्टी ड्रग शपथ–पत्र को भी भरना अनिवार्य है। इस फार्म को न भरने पर शिक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- ❖ शिक्षार्थी **बैक व पुनः पंजीकरण** तथा ऑन लाइन परीक्षा–फार्म को विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल/परीक्षा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण करेंगे।

2.2 प्रवेश शुल्क, अवधि, माध्यम एवं प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता

2.2.1 प्रवेश शुल्क

(i) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक कार्यक्रम (स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं नॉन–क्रेडिट जागरूकता कार्यक्रम) के लिए प्रवेश के समय ही ऑनलाइन माध्यम से शुल्क देय होगा। निर्धारित शुल्क केवल वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए ही मान्य है। प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क (रू0 500/–) एवं परीक्षा शुल्क (रू0 150/– प्रति प्रश्न पत्र) अलग से देय होगा। परीक्षा–शुल्क, परीक्षा–फार्म भरने के समय लिया जायेगा

(ii) **यदि विश्वविद्यालय द्वारा किसी शैक्षिक सत्र के लिए प्रवेश शुल्क में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन किया जाता है तो वह उस वर्ष के सभी (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष) पुराने और नए शिक्षार्थियों पर समान रूप से लागू होगा।**

(iii) **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त यदि किसी भी अध्ययन केन्द्र द्वारा अतिरिक्त शुल्क की माँग की जा रही हो तो, शिक्षार्थी उसकी लिखित सूचना तत्काल विश्वविद्यालय को अवश्य दें। नगद भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।**

(v) **शुल्क एवं शुल्क–वापसी**

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेशित छात्र विद्यापरिषद् द्वारा समय–समय पर अवधारित शुल्क अदा करेंगे। शुल्कों की अदायगी ऐसी तिथियों एवं पद्धति से की जायेगी जैसा समय–समय पर अधिसूचित की जाए। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

Guidelines for fee Refund:- (शुल्क वापसी : शुल्क वापसी निम्नानुसार किया जायेगा)

Fee Refund Policy: UGC Letter D.O. No.F.2-71/2022 (CPP-II)(C-114546) dated 12th June, 2024

Category	Percentage of Refund of fees*	Time Period (withdrawal of the Application)

(1)	100%	15 Days or more before the formally notified last date of admission
(2)	90%	Less than 15 days before the formally notified last date of admission
(3)	80%	15 days or less after the formally notified last date of admission
(4)	50%	30 days or less. but more than 15 days after formally notified last date of admission
(5)	00%	More than 30 days after formally notified last date of admission

विद्यार्थी द्वारा जमा शुल्क की धनराशि उपरोक्तानुसार वापस की जायेगी। यू.जी.सी. के निर्णयानुसार जमा शुल्क से रु. 1000/– प्रोसेसिंग शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा काट लिया जायेगा। शुल्क वापसी प्रवेश प्रक्रिया, फीस रिफण्ड के आवेदन की प्राप्ति के पश्चात, प्रवेश के पूर्ण समाप्ति के पन्द्रह दिनों के पश्चात आरम्भ की जायेगी।

2.2.2 कार्यक्रम अवधि, माध्यम एवं प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, पाठ्यक्रम माध्यम (अंग्रेजी/हिन्दी) एवं प्रवेश लेने के लिए न्यूनतम अर्हता आदि का विस्तृत विवरण **शैक्षिक कार्यक्रम** पर तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर दिया गया है जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उसका अवलोकन करके ही प्रवेश लें।

2.2.3 प्रवेश शुल्क में छूट :–

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम में निम्न को प्रवेश–शुल्क मे छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

- देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहूति देने वाले भारतीय सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृतक शहीद द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र एवं अविवाहित दत्तक पुत्री) को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी एक कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम **बाल विकास एवं पोषण कार्यक्रम** में केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को निःशुल्क* प्रवेश दिया जायेगा।
- किन्नर (Transgender) वर्ग के अभ्यर्थियों को भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम में निःशुल्क* प्रवेश दिया जायेगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम में प्रवेश लेने पर, जेल मे बन्द सजायाफ्ता कैदियों को निःशुल्क* प्रवेश दिया जायेगा।
- इस सत्र से प्रवेश लेने वाले सभी शिक्षार्थियों को मुद्रित स्व–अध्ययन सामग्री न लेने पर **15%** की ट्यूशन फीस में छूट दी जायेगी।*

* नियम व शर्तें – शिक्षार्थी को 15% छूट के लिए प्रवेश के एक सप्ताह के अन्दर लिखित रूप से प्रवेश अनुभाग को एक प्रार्थना पत्र डाक द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

2.2.4 प्रवेश पश्चात डाटा में संशोधन हेतु निर्धारित शुल्क :–

शिक्षार्थी के प्रवेश से सम्बन्धित प्रवेश डाटा में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन निशुल्क किया जायेगा, उसके पश्चात् बेसिक डाटा में संशोधन हेतु उन्हें निम्नलिखित निर्धारित शुल्क देना होगा।

क्र.सं.	संशोधन का प्रकार	अंतिम तिथि तक	निर्धारित शुल्क अन्तिम तिथि के पश्चात
1.	कार्यक्रम संशोधन	अमान्य है।	लागू नहीं
2.	अध्ययन केन्द्र (स्टडी सेंटर) परिवर्तन	नामांकन नहीं जारी होने तक निःशुल्क	रु. 1000/–
3.	प्रश्न पत्र/विषय में परिवर्तन	नामांकन नहीं जारी होने तक निःशुल्क	रु. 500/–
4.	परीक्षा केन्द्र परिवर्तन	——	रु. 800/–
5.	उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के संशोधन की दशा में	नामांकन नहीं जारी होने तक निःशुल्क	रु. 500/–
6	ईमेल/मोबाइल नम्बर	सिर्फ एक बार निःशुल्क	रु. 500/–

नोट : उपरोक्त शुल्क विश्वविद्यालय के अधिकृत बैंक – **बैंक ऑफ बड़ौदा, यू.पी.आर.टी.ओ.यू. प्रयागराज** के खाता संख्या – **86020100001623**, आई.एफ.एस.सी. कोड – **BARB0VJRTOU** में सिर्फ ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। कोई भी फीस बैंक ड्राफ्ट या नगद के रूप में स्वीकार नहीं होगा।

2.2.5 दो कोर्स सम्बन्धी सूचना :–

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली नोटीफिकेशन दिनांक– 13/04/2022 के पत्र संख्या 1–6/2007 (**CPP-II**) के अनुसार कोई भी उच्च शिक्षा आकांक्षी एक ही सत्र में एक साथ दो उपाधि प्राप्त कर सकता है, बशर्ते दोनों कोर्स की परीक्षायें एक ही समय में होने पर परीक्षा समय सारणी में कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा और स्वेच्छानुसार कोई एक परीक्षा दे सकता है। दो से अधिक कोर्स में प्रवेश अनुमन्य नहीं है तथा तीसरे कोर्स / प्रोग्राम में जमा फीस वापस नहीं की जायेगी।

विशेष :–

- शिक्षार्थी, कार्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि तक इस सूचना विवरणिका को अपने पास संरक्षित रखें तथा इसका समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न नियमों, प्रावधानों व अनुदेशों हेतु अवलोकन करते रहें। साथ ही शैक्षिक कैलेण्डर में निर्दिष्ट निर्धारित तिथियों के अनुरूप अपनी शैक्षिक गतिविधियों को पूर्ण करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें।
- इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शिक्षार्थी यदि किसी अन्य कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता है, तो ऐसे शिक्षार्थियों को भी अर्हता सम्बन्धी पूर्ण अंकतालिका की प्रमाणित छायाप्रति प्रवेश के समय अपलोड करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में नामांकित शिक्षार्थियों का भी प्रवेश अपूर्ण अंकतालिका पर स्वीकार नहीं होगा तथा जमा फीस वापस नहीं किया जायेगा।
- दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत शिक्षार्थी को कार्यक्रम के द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए परीक्षाफल की प्रतीक्षा किये बिना ऑन–लाइन प्रवेश आवेदन फार्म निर्धारित तिथि तक कार्यक्रम शुल्क के साथ भरना अनिवार्य है। द्वितीय/तृतीय वर्ष के प्रवेश के लिए परीक्षाफल के घोषित होने की प्रतीक्षा नहीं करनी है।
- विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नियमों, कार्यक्रम–प्रारूप, कार्यक्रम शुल्क, नवीन कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षा आदि से सम्बन्धित विस्तृत/संशोधित अद्यतन सूचना समय–समय पर विश्वविद्यालय